प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधिपति)

दाण्डिक अपील क्रमांक 685 वर्ष 1992

अपीलार्थीः **यवनेश कुमार साहू एवं अन्य।**

बनाम

प्रत्यर्थीः **मध्य प्रदेश राज्य।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से :- श्री आशीष श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से :- श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दाण्डिक अपील।

निर्णय

(दिनांक- 4/1/2011)

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 186/1990 में दिनांक- 26.6.1992 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है है। जिसमें अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-I)/149, 323/149 और 147 के अंतर्गत दोषी

ठहराया गया था और हर एक व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के लिए क्रमशः में दो वर्ष, छह माह और छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक- 18.5.1990 को मृतक बेनी माधव ने अपने खेत में बाड़ लगाई थी और आरोप है कि सभी अभियुक्तों ने उसके द्वारा खोदी गई चबूतरे को भर दिया था। मृतक बेनी माधव द्वारा विरोध करने पर, सबसे पहले अभियुक्त घासीराम और नंदलाल ने उसके सिर पर वार किया और उसके बाद जब मृतक गिर गया, तो अन्य सभी अभियुक्तों ने भी उस पर डंडे से हमला किया और उसके सिर, दोनों हाथों और बाएं पैर पर चोटें पहुँचाईं। उसी दिन मृतक बेनी माधव द्वारा देहाती नालसी प्रदर्श पी-22 दर्ज कराई गई और उसके आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ धारा 147, 307 और 323 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-23 दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि दिनांक- 7/6/1990 को बेनी माधव की मृत्यु हो गई। मर्ज सूचना प्रदर्श पी-73 पुलिस को दिया गया और जांच के बाद वर्तमान अपीलार्थियों सहित 12 अभियुक्तों के खिलाफ दिनांक- 8.8.1990 को धारा 147, 148, 149, 307 और 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र दायर किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्तों/अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 19 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्तों/अपीलार्थियों के बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपने आप को निर्दोष होने तथा मामले में झूठा फसाये जाने का अभिवाक किया। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में दो गवाहों, बुदलु राम (ब.स.-1) और डॉ. एस.पी. गुप्ता (ब.स.-2) का परीक्षण कराया है । यह

जानकारी दी गयी है की विचारण के दौरान अभियुक्त घासीराम और गजानंद की मृत्यु हो गई।

4. पक्षकारो को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थियों को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन उन्हें धारा 304 (भाग-I)/149, 323 और 147 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया। हालाँकि, अभियुक्त उर्फ ध्रुव, आदित्य शंकर और रायपुरहिन उर्फ कमला बाई को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी संख्या 1 रामसुख की भी मृत्यु हो गई है और अब वर्तमान अपील केवल अभियुक्तों/अपीलार्थी नंदलाल, ब्रजलाल, गणेशराम, देवदास, नन्हूराम, नत्थूलाल और पीताम्बरलाल से संबंधित है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. पक्षकारो के अधिवक्ता की सुनवाई की और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया जिसमें आक्षेपित निर्णय भी शामिल था।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला आत्मरक्षा का प्रतीत होता है, जहां बेनी माधव ने पहले अभियुक्तों पर हमला किया था और उनकी जान बचाने के प्रयास में, मृतक को कुछ चोटें पहुंचाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि विशिष्ट आरोप केवल अभियुक्त घासीराम के खिलाफ है, जिसकी सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई और आरोपी नंदलाल के खिलाफ है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अन्य शेषअभियुक्तों के खिलाफ सभी आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि शव परीक्षण के अनुसार मृतक को नौ चोटें आई थीं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किस अभियुक्त ने उसे कौन सी चोट पहुंचाई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रत्येक अभियुक्त/ अपीलार्थी के विरुद्ध किसी विशिष्ट आरोप के अभाव

में उन्हें किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-I) के अंतर्गत गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है क्योंकि उनकी ओर से मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि घटना दिनांक- 18.5.1990 को हुई थी जबकि मृतक की मृत्यु दिनांक-7.6.1990 को हुई थी, अर्थात लगभग 20 दिन बाद, इसलिए उक्त धारा के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में स्पष्ट रूप से कायम रखे जाने योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि मृतक को लगी चोटें घातक नहीं थीं, अन्यथा वह घटना की तारीख से 20 दिनों तक जीवित नहीं रह पाता और इसलिए अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-I) या यहाँ तक कि 304 (भाग-II) के तहत भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय का निर्णय अनुमान और अटकलो पर आधारित है और इसलिए यह भी अपास्त किये जाने योग्य है जिससे अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाना आवश्यक हो जाता है। अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने एक वैकल्पिक तर्क यह भी दिया कि अपीलार्थियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सकता है।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि सभी अभियुक्तों का नाम मृतक द्वारा दर्ज देहाती नालिसी प्रदर्श पी-22 में नामज़द है। उन्होंने तर्क दिया कि घायल चश्मदीद गवाह रोशनलाल (अ.स.-1) और रोशनी (अ.स.-13) - मृतक के पुत्र और पुत्री - ने अभियोजन पक्ष के मामले का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि शीला (अ.स.-12) और रमेश कुमार (अ.स.-14) स्वतंत्र गवाह हैं और उन्होंने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक सहित सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शुरू में आरोपी घासीराम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और नंदलाल ने मृतक पर लाठियों से हमला किया था और उसके बाद अन्य सभी अभियुक्तों ने भी उस पर हमला किया। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक को सिर, हाथ और पैर में फ्रैक्चर सहित 09 चोटें आईं। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि सभी अभियुक्तों ने मृतक पर हमला किया था, इसलिए धारा 149 और 147 के तहत उनकी दोषसिद्धि पूरी तरह से विधि के अनुसार है और आक्षेपित निर्णय में कोई खामी नहीं है। उन्होंने तर्क दी कि यदि अपीलार्थियों को धारा 304 (भाग-I) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, तो वे धारा 304 (भाग-II) भारतीय दंड संहिता के तहत भी इससे बच नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता था कि उनके द्वारा पहुंचाई गई चोटों से मृतक की मृत्यु होने की संभावना थी। उन्होंने तर्क दी कि रोशनलाल (अ.स.-I) को भी सिर और दाहिने पैर में फ्रैक्चर सहित 09 चोटें आईं थीं और इसलिए सभी अभियुक्तों/अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विधि के अनुसार है। उन्होंने तर्क दी कि मृतक की मृत्यु अभियुक्तों द्वारा किए गए हमले के कारण लगी कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई। इस प्रकार राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्तों/ अपीलार्थियों को दी गई दोषसिद्धि और सजा पूरी तरह से विधि के अनुसार है और अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियुक्तों/ अपीलार्थियों को दोषी ठहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि मृतक द्वारा दर्ज़ कराई गई देहाती नालिसी प्रदर्श पी—22 उसकी मृत्यु के बाद मृत्युपूर्व कथन बन जाता है और उसके आधार पर अभियुक्तों/अपीलार्थियों को दोषसिद्धि प्रदान की गई है। देहाती नालिसी को पढ़ने से पता चलता है कि मृतक पर किस तरह से हमला किया गया था और इस न्यायालय के लिए उक्त दस्तावेज़ पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा इसे विधिवत सिद्ध किया गया है। इसलिए इस न्यायालय का मत है कि मृत्यु कालिक कथन के संबंध में विचारण न्यायालय का उक्त

निष्कर्ष विधि के अनुरूप है और मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्धि देना उचित है।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू और ***मोहिंदर पाल जॉली बनाम पंजाब राज्य मामले रिपोर्ट 1979 क्रि.एल.जे. 584*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की न्यायिक घोषणा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्त/अपीलार्थी का कृत्य "निजी प्रतिरक्षा के अधिकार" के दायरे में नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का सुसंगत अंश इस प्रकार है:-

संपत्ति या व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित विधि सुस्थापित है और इसे यहाँ संक्षेप में दोहराया जा सकता है। अभियुक्त पर यह दायित्व है कि वह इस अधिकार को संदेह से परे साबित करने के मानक के आधार पर नहीं, बल्कि संभाव्यता की प्रबलता के सिद्धांत के आधार पर स्थापित करे। वह इस तर्क को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है या इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं भी कर सकता है, लेकिन वह अपनी तर्क में सफल हो सकता है यदि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य या अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले के अभिलेखों में ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने में सक्षम हो जिससे यह पता चले कि उसने जो स्पष्टतः आपराधिक कृत्य किया था, वह संपत्ति या व्यक्ति या दोनों की निजी प्रतिरक्षा के उसके अधिकार के प्रयोग में उचित था। लेकिन इस अधिकार का प्रयोग दंड संहिता की धारा 99 में दी गई सीमाओं और अपवादों के अधीन है, जिनमें से अंतिम अपवाद है-

“निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसी भी मामले में उस नुकसान तक विस्तारित नहीं होता है जो बचाव के उद्देश्य से पहुँचाना आवश्यक है। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित होता है, इसका प्रावधान धारा 100 में किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता का मामला इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऊपर व्यक्त किए गए हमारे विचार में, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता को न केवल अपनी संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार था, बल्कि धारा 101 के अर्थ में एक सीमित सीमा तक अपने शरीर की भी रक्षा करने का अधिकार था, जो धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन था। यह अधिकार संत राम को इतना नुकसान पहुँचाने और उनकी मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित नहीं था, न ही अपीलार्थी को उपलब्ध संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार उसकी मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित था क्योंकि यह धारा 103 के किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आता था। श्री मुल्ला ने इसे 'चौथे' के अंतर्गत लाने का प्रयास किया, जो कहता है:-

"चोरी, हानि, या गृह-अतिचार, ऐसी परिस्थितियों में जिनसे यथोचित रूप से यह आशंका उत्पन्न हो सकती है कि यदि निजी प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो मृत्यु या गंभीर चोट लग सकती है।" उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में नहीं पहुँचाया गया था जिससे उसके मन में यथोचित रूप से यह आशंका उत्पन्न हो सकती है कि यदि निजी प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो मृत्यु या गंभीर चोट लग सकती है। ऐसी आशंका का मात्र दावा ही पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को वस्तुपरक परीक्षण और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि स्थिति ऐसी थी जिससे ऐसी आशंका उत्पन्न होने की संभावना थी। इसलिए, अपीलार्थी के मामले में संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु के अलावा किसी भी अन्य नुकसान पहुँचाने तक विस्तारित था। निस्संदेह, अपीलार्थी ने निजी रक्षा के इस अधिकार का अतिक्रमण किया और स्पष्टतः धारा 300 के खंड 'चौथे' के अर्थ में उसने जो हत्या की, वह पूरी तरह से इसके अपवाद 2 के अंतर्गत आती है। 'उसने विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण किया और संत राम की मृत्यु का कारण बना,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिसके विरुद्ध वह इस रक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था। उसने ऐसा बिना किसी पूर्वचिंतन के और इस तरह के बचाव के उद्देश्य से आवश्यक से अधिक नुकसान पहुँचाने के इरादे के बिना किया। उसने सोचा कि इस खतरनाक कार्य में लिप्त होकर वह मजदूरों को डराने में सक्षम होगा और उन्हें उनके अनुचित आंदोलन, नारे लगाने और पत्थरबाजी जारी रखने से रोक देगा। लेकिन फिर, हालाँकि आशय किसी को मारने या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का नहीं था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी उसने यह कार्य किया होगा यह जानते हुए कि यह इतना खतरनाक था कि इससे पूरी संभावना है कि मृत्यु हो जाएगी या ऐसी शारीरिक चोट लग जाएगी जिससे चार दीवारी के दूसरी ओर खड़े श्रमिक या श्रमिकों की मृत्यु होने की संभावना थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. घायल प्रत्यक्षदर्शी रोशनलाल (अ.स.-1) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक-18.5.1990 को, यानी घटना की तारीख को, अपने पिता की चीखें सुनकर जब वह घर से बाहर आया, तो उसने देखा कि अभियुक्तगण उसके पिता को घेरकर उन पर हमला कर रहे थे। उसने अपीलार्थियों के नाम स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा है कि सभी अभियुक्तों ने उसके पिता पर हमला किया।उसने अपीलार्थियों का नाम स्पष्ट रूप से लिया है और कहा है कि सभी अभियुक्तों ने उसके पिता पर हमला किया था। कंडिका 3 में उसने बताया है कि अभियुक्तों के पास कौन से हथियार थे। उसने कहा है कि जब उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो अभियुक्तों ने पहले उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर उस पर भी हमला किया। उसने बताया है कि अभियुक्तों ने मृतक को मृत समझकर वहीं छोड़ दिया और फिर उस पर हमला किया। उसने बताया है कि पहले उसे खारसिया अस्पताल ले जाया गया और फिर रायगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह 15 दिनों तक रहा, जबकि उसके पिता भी रायगढ़ अस्पताल में 15 दिनों तक रहे और फिर उन्हें भिलाई अस्पताल में

भर्ती कराया गया, जहां चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षण में भी यह गवाह मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने बयान पर अडिग रहा और उसने अभियुक्त/अपीलार्थियों के लिए मददगार कोई नई बात नहीं कही। मृतक की बेटी रोशनी (अ.स.-13) ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन किया और सभी अभियुक्तों के नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने उसके पिता पर हमला किया था। शीला (अ.स.-12) को घटना की एक और चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया है, लेकिन उसके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने घटना को सीधे तौर पर नहीं देखा था, बल्कि उसने मृतक और घायल रोशनलाल को खून बहते हुए ज़मीन पर पड़ा देखा था। इस गवाह ने सभी अभियुक्तों के नाम लेते हुए कहा कि उनके पास लाठी और लोहे की छड़ें थीं। रमेश कुमार की भी यही स्थिति है, जिसने घटना को सीधे तौर पर नहीं देखा, बल्कि केवल अभियुक्तों को हाथ में हथियार लिए देखा और यह भी देखा कि मृतक और घायल रोशनलाल उनसे घिरे हुए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय को इस तर्क में कोई बल नहीं लगता कि चूँकि मृतक की मृत्यु 20 दिन बाद हुई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी मृत्यु अभियुक्तों द्वारा पहुँचाई गई चोटों के कारण हुई। मृतक की शव परीक्षण प्रदर्श पी-16 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृत्यु का कारण कई चोटों के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव है। इस न्यायालय को इस तर्क में भी कोई बल नहीं लगता कि चूँकि मृतक हृदय रोगी था और डॉ. बाल चंद सिंह चंदेल (अ.स.-7) से उपचार ले रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु हृदय रोग के कारण हो सकती थी। यदि शव परीक्षण में विशिष्ट रूप से उल्लेख है और डॉक्टर ने कुछ और नहीं कहा है, इसलिए यह स्थापित हो जाता है कि मृतक की मृत्यु उसे लगी चोटों के कारण हुई।

12. इस प्रकार अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी मृतक की हत्या करने का पूर्व आशय रखते थे, जैसा कि साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक और घायल रोशनलाल

(अ.स.-1) पर हमला करते समय वे "उसे मार डालो" शब्द कह रहे थे। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तों ने मृतक को तभी छोड़ा था जब उन्हें लगा कि वह अब जीवित नहीं है। इस प्रकार यह तर्क कि अपीलार्थियो का कृत्य अधिकतम धारा 304 (भाग-II) के अंतर्गत आता है, न कि धारा 304 (भाग-I) के अंतर्गत, इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है।

13. इस न्यायालय को अपीलार्थियों के अधिवक्ता की इस तर्क में भी कोई दम नहीं दिखता कि अपीलार्थी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों/अपीलार्थी ने मृतक को नौ चोटें पहुँचाई हैं, जिनमें मृतक को चार फ्रैक्चर और घायल रोशनलाल (अ.स.-1) को नौ चोटें शामिल हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस प्रकार, अपील में कोई सार नहीं है और इसलिए यह खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय बरकरार रखा जाता है। चूँकि अभियुक्त/अपीलार्थी जमानत पर हैं, इसलिए उनके जमानत बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं। उन्हें तत्काल जेल भेजा जाए।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

आदेश पत्र

मामला क्रमांक दाण्डिक अपील क्रमांक 685 वर्ष 1992

.. विरुद्ध..............................

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यलयीन मामालो में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर दिनांक-20.01.2011:,

दिनांक 18.1.2011 के कार्यालय नोट पर मामले को सुधार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दिनांक-4.1.2011 के निर्णय के शीर्षक में अपीलार्थी का नाम गलत तरीके से "यवनेश कुमार साहू और अन्य" लिखा गया है, जबकि वास्तव में यह "नंदलाल और अन्य" होना चाहिए था।

दिनांक-4.1.2011 के निर्णय के शीर्षक में तदनुसार संशोधन किया जाता है। "यावनेश कुमार साहू और अन्य" के स्थान पर

"नंदलाल और अन्य" पढ़ा जाए।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Translated By MS MITA TANDIA ADV.